RAJYA SABHA

Monday the 18th *August*, 2003/27 *Sravana*, 1925 *(Saka)*.

The House met at eleven of the Clock.

MR. CHAIRMAN *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*361 The questioner (Shri Moti Lal Vora) was absent. For answer *vide* page 38 infra.]

*362 The questioner (Shri Datta Meghe) was absent. For answer *vide* page 39—40 infra.]

*363 The questioners (Shri K. Natwar Singh and Dr. T. Subbarami Reddy) were absent. For answer *vide* page 40-41 infra.]

*364 The questioner (Shri Mati Lal Sarkar) was absent. For answer *vide* page 42 infra.]

संस्थाओं को भूखंड आवंटन

*365 **श्री लाजपत राय: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष 291 संस्थाओं को डी डी ए द्वारा भूखंड आवंटन की जांच का कार्य सी बी आई को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच की क्यों आवश्यकता पड़ी;

(ग) क्या सी बी आई द्वारा इस जांच को अभी पूरा किया जाना शेष है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (मेजर जनरल से॰ नि॰ भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने संस्थानिक भूमि के आवंटन की किसी जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं सौंपा है। तथापि, दीय जांच ब्यूरो ने स्वत: ही भूमि आबंटन की चार फाइलें जांच हेतु मांगी हैं। अशोक एजुकेशन ेलफेयर सोसायटी के संबंध में एक अन्य फाइल तत्कालीन उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास करण के कार्यालय में तलाशी के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कब्जे में ले ली थी और अब

वह फाइल वापस लौटा दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई मामला दर्ज होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

Allotment of Land to Institutions

†365. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT and POVERTY ALLEVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the CBI has been entrusted with the task to investigate into the allotment of land by DDA to 291 institutions during the last year;

(b) if so, what necessitated this investigation;

(c) whether the probe is yet to be completed by the CBI; and

(d) if so, by when the probe is likely to be completed?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION [MAJ. GEN (RETD.) B.C. KHANDURI]: (a) to (d) A Statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) The Delhi Development Authority (DDA) has reported that it has not entrusted any investigation into allotment of institutional land to the Central Bureau of Investigation (CBI). However, CBI has *suo-motu* requisitioned four files of land allotment for verification. One other file in respect of Ashok Education and Welfare Society was seized by the CBI during the search in the office of the then Vice Chairman, DDA and has since been returned. No intimation regarding registration of any case has been received by DDA.

SHRI LAJPAT RAI: What is the number of applications received? What is the criterion for accepting or rejecting the applications? How many applications have been rejected and how many are pending?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, हमारे पास जो ऐप्लीकेशंस आयी थीं, उनकी फिगर 291 दी गयी है लेकिन सही फिगर 287 है, चार का नाम दुबारा लिख दिया गया था। जो डी डी ए के पास ऐप्लीकेशंस आयी हैं, वे इस प्रकार हैं। 1996 में 163, 1997 में 149, 1998 में 113, 1999 में 163 सन् 2000 में 146, 2001 में 190, 2002 में 148 और 2003 में 287 ऐप्लीकेशंस हैं, जिनके ऊपर डीडीए ने विचार किया है। उनमें से 43 स्वीकृत हो गयी हैं, बाकी अ' विचाराधीन हैं। इसमें कुछ केसिज में ऐसा होता है कि उनसे कुछ और कागजात वगैरह मांगने

†Original notice of the question was received in Hindi.

है। जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार कमेटी की मीटिंग के बाद वाइस चेयरमैन, डीडीए के पास जाती है और उसके बाद लेफ्टीनेंट गवर्नर के पास जाते है। उस प्रक्रिया में समय लगता है। इस प्रकार जो देरी हुई हैं, उनकी संख्या 43 है।

SHRI LAJPAT RAI: What were the causes for referring the cases to the CBI? By what time will it be finalised?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: महोदय, जैसा मैंने जवाब में ही कहा है कि हमने सीबीआई को केस रेफर नहीं किए हैं। सीबीआई ने सुओ- मोटो ये केस लिए हैं। चार फाइल उन्होंने लिए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। जैसा मैंने जवाब में ही कहा है, मैं उसे दुबारा पढ़ देता हूं, "The Delhi Development Authority (DDA) has reported that it has not entrusted any investigation into allotment of institutional land to the Central Bureau of Investigation (CBI). However, the CBI has *suo motu* requisitioned four files of land allotment for verification. One other file in respect of Ashok Education and Welfare Society was seized by the CBI during the search in the office of the then Vice-Chairman, DDA and has since been returned. No intimation regarding registration of any case has been received by DDA.

लाला लाजपत राय: सर, मैं एक छोटी-सी बात पूछना भूल गया ? What do you mean by institutions? What type of institutions are these? Are they banks or social organisations or any other organisation? What are these institutions?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: माननीय सभापति महोदय, यह प्रक्रिया 1981 में शुरू हुई थी और उसके लिए जिन इंस्टीट्यूशंस को अधिकार था, उनका विवरण इस प्रकार है। पहला, वह रजिस्टर्ड बाडी होनी चाहिए। दूसरा, उसको स्टेट गवर्नमेंट या सैंट्रल गवर्नमेंट के उस विभाग, जिस विभाग से वह इंस्टीट्यूशन संबंधित है, उसकी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। महोदय, जो कंडीशंस इसमें दी गयी हैं, उन्हें मैं पढ़ देता हूं:

(1) it is a non-profit organisation; (2) it is in possession of sufficient funds to meet the cost of the land and the construction of the building for its use and (3) the allotment is sponsored, as I said, by the concerned Department of the State Government or the Central Government. कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए वे अधिकृत नहीं हैं।

No allotment can be made under certain conditions. The first condition is, no allotment can be made unless the institution directly subserves the interests of the population of the Union Territory of Delhi and secondly, it

is generally conducive to the planned development of the Union Territo of Delhi. (iii) it is apparent from the nature of the work to be carried out by the institution that the same cannot be carried out with equal efficiency anywhere else excepting the Union Territory of Delhi; (iv) unless it is a registered society under the Societies Registration Act or it is an institution held and run by the Government or by any local body or is constituted under any law in force; (v) it is non-profit making in character; (vi) it is in possession of sufficient funds to meet the cost of the land and construction of buildings; and (vii) the allotment of such an institution is sponsored or recommended by the Department.

ये कंडीशन्स हैं जिनके अधीन उनको जमीन मिल सकती है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने इंस्टीट्यूशन की परिभाषा और उसकी परिधि बताई पर इसके बारे में इन्होंने कहा कि एक तो वह नान प्राफिट आर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ कहते हैं कि उसके पास enough funds भी होने चाहिए ताकि वह बिल्डिंग बना सके और उसको चला सके। ये दोनों self contradictory प्रपोजल्स या कंडीशन्स हैं कि एक नान प्राफिट आर्गेनाइजेशन हो और enough funds भी हों। तब तो बड़े लोगों के जो ट्रस्ट हैं, वे ही यहां पर इंस्टीट्यूशन की परिभाषा या परिधि के अंदर आकर जगह ले सकते हैं, पर 1981 से लेकर आज तक जितने इंस्टीट्यूशन्स को ये जगहें दी गई हैं और वहां जो इंस्टीट्यूशन्स की बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं, वहां पर जो आपकी कंडीशन्स हैं, उनके अनुसार काम हो रहा है या उन्होंने sub-let किया हुआ है, किराए पर चढ़ाया हुआ है और अपनी पूरी एक्टिविटीज आउटसोर्स की हुई हैं क्या आपने इस पर कोई इनक्वायरी की है और अगर की है तो क्या आपने उनको आइडेंटिफाई किया है कि उन्होंने मैनडेट के खिलाफ काम किया है और उनके खिलाफ क्या action लिया गया है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूडी: सभापति महोदय,सवाल के दो भाग हैं। पहले भाग में तो इन्होंने पूछा है कि अगर वह नान प्राफिट मेकिंग है तो वह कहां से पैसा लाएगी इतनी जमीन देने के लिए। यह जो चिंता है, यह सही है, स्वाभाविक है लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि डीडीए इस प्रकार का संगठन नहीं है जो कि जमीन खरीद कर सस्ते दामों पर लोगों को दे सके। इसकी जमीन वैसे ही कम दामों पर, सुविधाजनक दामों पर दी जाती है। इसलिए जो भी संगठन इसके लिए एप्लाई करना चाहता है, अर्जी देना चाहता है, स्वाभाविक है कि उसके पास पैसों का बंदोबस्त होना चाहिए। इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि संगठन के पास पैसे तो नहीं हैं लेकिन उनको जमीन दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव नहीं है। हालांकि मैं उनकी चिंता से सहमत हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि जो जमीन इस प्रकार से दी जाती है, वह कम दामों पर दी जाती है और जो संगठन जमीन पर अपने किसी काम को चलाना चाहता

...के लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऐसे कई स्वयंसेवी संगठन हैं जिनके पास ... और वे देते हैं। जहां तक कि किस प्रकार के संगठन हैं या कोई स्कूल ... इस प्रकार की संस्थाएं बनाना चाहता है, जो उनके लिए भी इसमें व्यवस्था है।

... आपने पूछा है कि क्या किसी प्रकार की जांच-पड़ताल की है—मुझे इसकी ... कि इस प्रकार की कोई जांच-पड़ताल की है। मैं इसकी जानकारी लेकर माननीय ... दूंगा।

... नायर: कितने इंस्टीट्यूशन्स धर्म या जाति से जुड़े हुए हैं? क्या आप उनकी संख्या ...

... (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: माननीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा कि ... यहां पर है और जो 43 की लिस्ट मेरे पास है....

... सभापति: आप तो इतना सा बता दो कि नैयर जाति तो नहीं है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: मैं कुछ चुनिंदा संगठनों के नाम पढ़ लेता हूं जिनको जमीन दी गई है। मैं लिस्ट में से कुछ नाम पढ़ देता हूं। Jayatika Education & Welfare Society, Dr. Walia Charitable Trust, Ferry Educational Society, Sri Sankara Education & Welfare Society, Two Wings Welfare Society, Sarva Dharam Welfare Association, Oswal Samaj, Shri Sanatan Dharam Mahadev Mandir Sabha, the Dioceson Society North of India, Taruvar Society, Delhi Bhajan Samaj, Sindhi Panchayat, Paschim Vihar, Shri Narayan Das Goel Memorial Association and others. इस प्रकार से बहुत से हैं। यदि आप चाहें तो यह सूची मैं आपको भेज सकता हूं लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि उसमें कोई शामिल है या नहीं है। जो शामिल हो सकते हैं, उनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is a very important question; a lot of discussion has taken place. इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो लास्ट इयर 291 फ्लैट्स एलाट किए हैं, उन्हीं के बारे में सीबीआई इन्क्वायरी कर रही है या जो शुरू में ही एलाटमेंट हुई है, इस कैटेगिरी में, इंस्टीट्यूशन्स की कैटेगिरी में, उन सबके बारे में भी इन्क्वायरी कर रही है? आपने कहा है कि सीबीआई ने सूओमोटो इन्क्वायरी शुरू की है। जो पुरानी लिस्ट है क्या सरकार उसकी जांच के लिए भी रेफर करेगी? ... और वी पूरी लिस्ट सदन के समक्ष न रखने का क्या सरकार कारण बताएगी? क्या इसको ऐसे करना उचित होगा और देशवासियों को पूरा जानकारी मिलेगी? I want to know the names ... background of the institutions that have been given any preferential ... DDA. What is the position as of now?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि [illegible] में शुरू हुई थी और 1996 तक कितनी एप्लीकेशन्स आई है, कितनी विचाराधीन हैं, यह मैंने बताया है। अभी जो 287 की फिगर दी है, इनके बारे में सीबीआई चर्चा कर रही है या सिर्फ चार्जशीट लिए हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि सीबीआई जो इन्क्वायरी कर रही है, वह हमसे पूछताछ या सलाह मशविरा करके नहीं कर रही है। उन्होंने कुछ सूओमोटो केस लिए हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, जो पहले के पुराने केसेज हैं, वह तो वह कर रही है। इसकी पूरी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा।

श्री राम नाथ कोविन्द: सभापति जी, डीडीए के बारे में इस प्रकार का एक इम्प्रेशन है कि प्रत्येक वर्ष अथवा दो वर्ष के मध्य में वहां पर करप्शन के केसेज उजागर होते रहते हैं। 1979 के दौरान एक स्कीम निकाली गई थी जिसको लगभग पच्चीस वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी भी जिन लोगों ने अपने मकानों के लिए, फलैट्स के लिए, आबंटन कराया था उनको अभी तक मकान प्राप्त नहीं हुए हैं महोदय इस संबंध में अभी प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को एक बात कहीं थी कि मामलों के निपटने में जो देरी होती थी, the root cause of corruption is there. मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय की इस प्रकार की कोई योजना है जिसमें कि इनबिल्ट कोई मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि इस प्रकार के करप्शन के केसेज को मिनिमाइज किया जा सके?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, यह सवाल मुख्यत: एलाटमेंट से संबंधित है फिर भी मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। सामान्यत: जो डीडीए के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं उसकी चिंता हमको भी है और कई बातें पिछले एक-दो साल के अंदर कर दी गई हैं जिनमें सुधार की व्यवस्था है। अलग-अलग स्थानों पर डीडीए के एक ही दफ्तर में सब लोग सूचना लेने आएं, यह जानकारी लेने के लिए है। पांच छ: जगहों पर और इस प्रकार के सब आफिस बना दिए गए हैं। वहां पर यह व्यवस्था भी की जा रही है कि बिना किसी आदमी के जांच पड़ताल के आदमी सीधे अपनी सूचना कंप्यूटर के माध्यम से, सीधे ले सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। भ्रष्टाचार है इससे मनाही नहीं की जा सकती, लेकिन इसको बराबर कम करने की प्रक्रिया चल रही है।

*366 [The questioners (Shri Mool Chand Meena and Dr. T. Subbarami Reddy) were absent. For answer *vide* page 42—43 *infra*]

*367. [The questioners (Shri N.K. Premachandran and Shri Manoj Bhattacharya) were absent. For answer *vide* page 43—49 *infra*]